



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।



Office Of The Executive Engineer Prov.Division Pwd Uttarkashi,

E-Mail: pdpwduki@yahoo.com

Fax No-01374-222108

Tel.No- 01374-222108

पत्रांक ११२ / वन-प्रशासि
सेवा में,

दिनांक 15 / 05 / 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा -धनारी-सेम मुखेम मोटर मार्ग का पट्टी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-2499/12-1 कोटबंगला दिनांक 20.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण हेतु उपलब्ध नहीं है, विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक समरेखण पर भी पूर्व में विचार किया गया था। किन्तु मोटर मार्ग के प्रारम्भ में ही वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण में बांझ, बुरांश के लगभग 1352 व चीड़ के 1765 वृक्ष आ रहे थे, जो कि प्रस्तावित समरेखण में आ रहे बांझ, बुरांश (972) व चीड़ (718) से अधिक थे, (संलग्नक-पूर्व में प्रेषित पत्र की छाया प्रति।)

अतः अनुरोध है कि अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में ही स्वीकृत समरेखण पर ही विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/05/23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।



E.Mail. eepduki.pwduk@gov.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

Fax No-01374-222108

Tel.No- 01374-222108



पत्रांक 3532/नव/2020

दिनांक 22/12/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा-धनारी-सेम-मुखेम मोटर मार्ग का पट्टड़ी से आगे रोम नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (लम्बाई 10.00 किमी0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 14-09-2020) का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	मोटर मार्ग के समरेखण में मार्किंग पिल्लर्स नहीं लगाये गये हैं, जिससे मोटर मार्ग के समरेखण का पता नहीं चल पा रहा है। अतः मार्किंग पिल्लर्स लगाने अति आवश्यक हैं।	इस समरेखण में पूर्व में (वर्ष 2013) में मार्किंग पिल्लर्स लगाये गये थे किन्तु काफी समय व्यतीत होने जाने के कारण स्थल झाड़ियां उग आई हैं, जिस कारण कुछ पिल्लर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, व कुछ पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। किन्तु वर्ष 2013 में निर्मित पिल्लर्स के आधार पर ही वृक्षों की गणना हुई है। कुछ स्थान जहां पर पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन स्थानों पर पेंट द्वारा मार्किंग कर दी गयी है।
2	वैकल्पिक समरेखण (Alternate alignment) में आने वाले वृक्षों एवं भूमि का विवरण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इसे सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।	वैकल्पिक समरेखण तकनीकी तौर पर उचित न होने के कारण इस पर मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है, जिस हेतु इस समरेखण पर वृक्षों की गणना उचित नहीं है। इस समरेखण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा भी सहमति नहीं दी गयी है। विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक समरेखण पर भी विचार किया गया था, किन्तु प्रारम्भ के 5 किमी0 में ही वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण में बांज, बुरांश के लगभग 1352 व चीड़ के 1765 वृक्ष आ रहे हैं जबकि जो कि प्रस्तावित समरेखण में आ रहे बांज, बुरांश (972) व चीड़ (718) से अधिक है। अतः भू-वैज्ञानिक की आख्या व वनभूमि व वन सम्पदा की अधिक क्षति को देखते हुए वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया है।

"दो गज की दूरी मास्क है जरूरी"

08/01/21

3 प्रस्ताव में संघारित किये गये मक डिम्पिंग प्लान का अवलोकन करने पर देखा गया कि परियोजना में उपयोग में लाये जाने वाले मलबे की मात्रा 50 प्रतिशत दिखायी गयी है, जो कि वास्तव में सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इसलिये उक्त परियोजना हेतु नया मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर प्रस्ताव में संघारित किया जाना अनिवार्य है।	चिन्तु संख्या- 3 को स्थल पर दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
--	---

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।
